संख्याः 2361 /38–7–2010–10एनआरईजीए/2005टी.सी.

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2010

विषय– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत सरकारी कार्मिक तथा ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत राज्य रोजगार गारण्टी निधि से धनराशि शासनादेश संख्या–3789/38–7–09–10एनआरईजीए/05टी0सी0 दिनांकः 13–11–09 के द्वारा ग्राम पंचायतों को सीधे उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान द्वारा उक्त धनराशि का आहरण ग्राम पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की व्यवस्था निर्दिष्ट है। इसी प्रकार श्रमिकों के श्रमांश का भुगतान करने हेतु शासनादेश संख्या–531/38–7–2010–02एनआरईजीए/05टी0सी0 दिनांकः 22–01–2010 के माध्यम से योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को 15000/– तक की धनराशि का भुगतान किये जाने के वित्तीय अधिकार ग्राम रोजगार सेवक तथा ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जाने की व्यवस्था की गयी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का परियोजना प्रस्ताव(perspective plan) ग्राम पंचायत स्तर पर ही तैयार कर विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत किया जाता है। जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों के परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिये जाने के पश्चात परियोजना के सापेक्ष आगणित की गयी धनराशि को अवमुक्त किये जाने की व्यवस्था है।

3– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि ग्राम पंचायतों के मुखिया ग्राम प्रधान तथा ग्राम रोजगार सेवक स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि का समुचित सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कई कार्य अधूरे छोड़ दिये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न तो उक्त योजना से जनता को लाभ मिलता है और न ही योजना पूर्ण हो पाती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव पर शत प्रतिशत अवमुक्त की जाने वाली धनराशि व्यय की जाय। किसी भी स्थिति में योजना को अधूरा न छोड़ा जाय। कराये गये कार्यों की गुणवत्ता खराब पाये जाने पर ग्राम प्रधान, ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित

E/ch-2010\IGO

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग,
उ० प्र० शासन।

किया जाय। इस व्यवस्था का परिपालन कराये जाने के लिए शासन स्तर से जनपदवार टास्क फोर्स गठित किया गया है, जो समय–समय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का रैण्डम चेकिंग करेंगे, साथ ही शासनादेश संख्या–279/38–7–08–16एनआरईजीए/06टी0सी0 दिनांकः 07–02–2008 तथा शासनादेश संख्या–1615/38–7–2009–25एनआरईजीए/07 दिनांकः 25–06–2009 में पूर्व से ही जनपद स्तर, मण्डल स्तर के अधिकारियों को भी कराये गये कार्यों के कार्यस्थल की निरीक्षण के संबंध में व्यवस्था की गयी है।

4– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व तथा कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अनिवार्य रूप से करायी जाये ताकि कराये गये कार्यो की गुणवत्ता तथा कार्य पूर्ण हो जाने का भौतिक सत्यापन भी शासन स्तर पर गठित टास्क फोर्स से कराया जा सके।

5– इसी प्रकार ग्राम्य विकास विभाग की अन्य योजनाएं यथा–इन्दिरा आवास तथा महामाया आवास योजना के अन्तर्गत आवासों के आवंटन में बी0पी0एल0 सूची के अनुसार निर्धारित कोटिक्रम के लाभार्थियों के अतिरिक्त संस्तुति किये जाने पर ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम प्रधान तथा अन्य संबंधित राजकीय कार्मिकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 2361 (1)/38–7–2010 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) अपर आयुक्त(नरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।